न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 150/2024

कलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख साकिन केवलांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादी

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट एवं 88 आरटीए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त बाबत ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— वादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 23/09/25

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा वादी की ओर से अन्तर्गत 88 आरटीए एवं धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से है।यह कि वादी एवं प्रतिवादी का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।यह कि वादी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 13/227 के प.नं. 3/215 (59) किला नं. 25/1, 25/2, 25/3, प.नं. 4/216 (67) किला नं. 8 ता 10, 13/2, प.नं. 6/213 (36) किला नं. 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1,6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 22, 22 ता 25, 25/1,25/2 कुल तादादी 6.198 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह विरास्तन इन्तकाल में दर्ज है जबकि वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, ग्रांम पंचायत उमेवाला की तस्दीक आदि में वादी का नाम कलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह है जो कि सही है। चित्रप्रति आध र कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवन्त सिंह दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है व वादी को अपनी कृषि भूमि पर केसीसी ऋण लेने, बिजली कनैक्शन व अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है इसलिये वादी अपना नाम बलवन्त सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह दर्ज करवाने की आज्ञा पाने का हकदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी से कई दफा कहा कि वह वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी का नाम बलवन्त सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह दर्ज कर देवे तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक टाल मटौल करता रहा परन्तु आज से करीब 3 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गया बस यही वाद कारण है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी के खिलाफ वादी को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हासिल नही है परन्तु यह भू धारक है इसलिये उसे वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। उअतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 13/227 के प.नं. 3/215 (59) किला नं. 25/1, 25/2, 25/3, प.नं. 4/216 (67) किला नं. 8 ता 10, 13/2, प.नं. 6/213 (36) किला नं. 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 22, 22 ता 25, 25/1, 25/2 कुल तादादी 6.198 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवन्त सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह दर्ज किया जावे।

कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

कि अन्य कोई अनुतोष जो अदालत हाजा उचित समझे दिलाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 2761 दिनांक 26.08.2025 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 3 TKW प.नं. 3/215 (59) कि.नं. 25/1, 25/2, 25/3 प.नं. 4/216 (67) कि.नं. 8 ता 10, 13/2 व प.नं. 6/213 (36) कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल रकबा 6.198 हे. नहरी मय गै.मु. खाला रास्ता में से 1/6 हिस्सा बलवन्त सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जटसिख सा. केवलांवाली खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि प्रार्थी को ई.नं. 1289 दिनांक 14/12/2020 बलवन्त सिंह पुत्र मोहनसिंह का 1/6 हिस्सा जाति जटसिख सा. केवलावाली के नाम विरास्तन दर्ज हुयी थी, उक्त नामा. में संलग्न दस्तावेज वारीस प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम बलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति जटसिख सा. केवलांवाली के नाम से दर्ज था। उक्त प्रकरण संख्या 150/2024 के बारे में दिनांक 23/04/2025 को पटवारी हल्का द्वारा मौका मुआयना, पुछताछ एवं जांच करने पर पाया कि बलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह व कलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम कलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह है।

बहस अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संयुक्त खाता में रिकार्डिड खातेदार है। इस संबंध में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर तहसील पीलीबंगा के चक 3 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 13/227 में अंकित वादी के बलवंत सिंह पुत्र मोहन सिंह के स्थान पर कलवन्त सिंह पुत्र मोहन सिंह अंकित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि जांच कर स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तहसील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 23/09/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा